


09.02.18

पत्रां पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु शर्षी इत्यालतन या
वकालतन उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण
अदम दायरी व अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम
हो खो बाद तकमील शुरू कर रहे।


सहायक कलेक्टर
एवं कार्यवाही मजिस्ट्रेट
गंगाप (स०मा०)